न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 133/2022
दायर दिनांक :– 17.08.2022

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2022/274
निर्णय दिनांक :– 22.12.2024

1. धूड़ाराम पुत्र जैराम जाति विश्नोई निवासी हरिपुरा मोटाई तहसील फलोदी जिला फलोदी
2. जोराराम पुत्र फगलूराम जाति विश्नोई निवासी हरिपुरा मोटाई तहसील फलोदी जिला फलोदी
3. भंवरलाल पुत्र फगलूराम जाति विश्नोई निवासी हरिपुरा मोटाई तहसील फलोदी जिला फलोदी
4. भाखरराम पुत्र फगलूराम जाति विश्नोई निवासी हरिपुरा मोटाई तहसील फलोदी जिला फलोदी
5. जीवनराम पुत्र फगलूराम जाति विश्नोई निवासी हरिपुरा मोटाई तहसील फलोदी जिला फलोदी
6. पतराम पुत्र फगलूराम जाति विश्नोई निवासी हरिपुरा मोटाई तहसील फलोदी जिला फलोदी
7. सहीराम पुत्र फगलूराम जाति विश्नोई निवासी हरिपुरा मोटाई तहसील फलोदी जिला फलोदी
8. तुलसी पत्नी फगलूराम जाति विश्नोई निवासी हरिपुरा मोटाई तहसील फलोदी जिला फलोदी

–वादीगण

बनाम

1. लालूराम पुत्र मंगलाराम फौत के कायम मुकाम

1/1 मानाराम पुत्र लालूराम जाति विश्नोई निवासी हरिपुरा मोटाई तहसील फलोदी जिला फलोदी

1/2 बीरूराम पुत्र लालूराम जाति विश्नोई निवासी हरिपुरा मोटाई तहसील फलोदी जिला फलोदी

2. खमूराम पुत्र कानाराम जाति विश्नोई निवासी हरिपुरा मोटाई तहसील फलोदी जिला फलोदी
3. बलवंताराम पुत्र कानाराम जाति विश्नोई निवासी हरिपुरा मोटाई तहसील फलोदी जिला फलोदी
4. भरमल पुत्र कानाराम जाति विश्नोई निवासी हरिपुरा मोटाई तहसील फलोदी जिला फलोदी
5. लादूराम पुत्र कानाराम जाति विश्नोई निवासी हरिपुरा मोटाई तहसील फलोदी जिला फलोदी
6. शाखा प्रबन्धक आई.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा फलोदी तहसील फलोदी जिला फलोदी

–प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः– 1. श्री विजय तंवर अधिवक्ता वादीगण
2. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रतिवादी

–:: निर्णय ::–

अधिवक्ता वादी ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 इस आशय से पेश किया है कि वादी के पिता तथा वादी संख्या 2 ता 7 के दादा तथा वादी संख्या 8 के ससुर जैराम के नाम से ग्राम चाखू पटवार क्षेत्र चाखू तहसील बाप के खेत मूल खसरा नम्बर 69 रकबा 122–18 बीघा भूमि और मूल खसरा नम्बर 166 कुल रकबा 56–13 बीघा भूमि आई हुई है, जो भूमि वर्तमान में चाखू गांव से नया राजस्व ग्राम कलाथल बन जाने से वर्तमान गांव कलाथल में आई

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

हुई है। जिसको आगे के पदो में विवादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधत किया जायेगा। वादी संख्या 1 के पिता तथा वादीगणों 2 ता 7 के दादा जैराम के ही विवादित भूमि कब्जा काश्त में होने से तथा खातेदार जैराम के फौत हो जाने से कानूनन विवादित भूमि जरिये फौतेदगी नामान्तरकरण के वादी संख्या 1 के नाम से तथा वादी संख्या 2 ता 8 के पूर्वज/पिता फगलूराम दो पुत्र वारिसान होने से दो पुत्रों के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज होनी चाहिए लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रतिवादीगणों से मिलावट कर मृतक खातेदार जैराम के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान नहीं होते हुवे भी नामान्तरकरण संख्या 109 ग्राम चाखू का स्वीकृत कर दिया जो कि अवैधानिक होने से इसके बाद तैयार समस्त राजस्व अभिलेख गलत होने से वादीगणों के खातेदारी अधिकारों के विरूद्व शुरू से शून्य व निस्प्रभाव होने से खारिज किया जाकर विवादित भूमि में वादी संख्या 1 को 1/2 हिस्से तथा वादी संख्या 2 ता 8 को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 की और से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व 6 की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 स्वंय और इनके अधिवक्ता ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के मध्य राजीनाम निम्नानुसार है कि ग्राम कलाथल के खेत खसरा नम्बर 69/1 रकबा 9.6963 हैक्टेयर अर्थात 59–18 बीघा भूमि में वादी संख्या 1 धूड़ाराम पुत्र जैराम के नाम रकबा 10–00 बीघा भूमि तथा वादीगण संख्या 2 ता 8 के नाम संयुक्त रूप से रकबा 10–00 बीघा भूमि रखी गई एवं शेष रकबा 39–18 बीघा भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1/1 व 1/2 के नाम संयुक्त रूप से रखी गई। खसरा नम्बर 69/2 रकबा 5.0990 हैक्टेयर अर्थात 31–10 बीघा भूमि में रकबा 10–00 बीघा भूमि वादीगण संख्या 2 ता 8 के नाम संयुक्त रूप से रखी गई तथा खसरा नम्बर 166/1 रकबा 4.5891 हैक्टेयर अर्थात 28–07 बीघा भूमि में रकबा 10–00 बीघा भूमि वादी संख्या 1 के नाम से रखी गई है। खसरा नम्बर 69/2 की शेष भूमि 21–10 बीघा व खसरा नम्बर 166/1 की शेष भूमि 18–07 बीघा में से प्रतिवादी संख्या 4 भरमलराम उर्फ भागीरथराम पुत्र कानाराम का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 बलवन्ताराम पुत्र कानाराम उर्फ भीयाराम के बंट में रखते हुवे भरमलराम उर्फ भागीरथराम का नाम उक्त खसरान् से विलोपित किया जावे। प्रतिवादी संख्या 4 भरमलराम उर्फ भागीरथराम पिता कानाराम अपना बंट अपने भाई प्रतिवादी संख्या 3 बलवन्ताराम को देकर प्रतिवादी संख्या 4 ने सन्यासी जीवन अपना कर अपना घर बार त्याग दिया है। शेष भूमि खसरा नम्बर 69/2 रकबा 21–10 बीघा भूमि व खसरा नम्बर 166/1 रकबा 18–07 बीघा भूमि में प्रतिवादी संख्या 4 भरमलराम उर्फ भागीरथदास का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 बलवन्ताराम पुत्र कानाराम उर्फ भींयाराम में समायोजित करने के बाद खसरा नम्बर 69/2 रकबा 21–10 बीघा सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 166/1 रकबा 18–07 बीघा में से रकबा 1–14 बीघा भूमि बलवन्ताराम पुत्र कानाराम उर्फ भींयाराम के बंट में रखी गई। खसरा नम्बर 166/1 की शेष भूमि रकबा 16–13 बीघा प्रतिवादीगण संख्या 2 व 5 के बंट में बराबर रखी गई। उक्त भूमि के पूर्व खातेदार जैराम की पुत्रीयां दोली व रूखमण ने अपना सम्पूर्ण हिससा

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

शादी, मायरा इत्यादि के रूप में स्त्रीधन लेकर त्याग दिया था जिसा पर कब्जा वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के अपने अपने हिस्से अनुसार चला आ रहा है। दोली व रूखमण पिता जैराम व उसके वारिसान उक्त भूमि को लेकर के किसी भी प्रकार का वाद एवं अपील नहीं करेगी। उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 का नाम गलत रूप से दर्ज बलवन्ताराम पुत्र कानाराम के स्थान पर बलवन्ताराम पुत्र भींयाराम दर्ज किया जावे। उक्त राजीनामा की रूह से वादग्रस्त भूमि बाद उक्त बंटवाड़ा निम्नानुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज की जावे।

1. वादी संख्या 1 के नाम खसरा नम्बर 69/1 रकबा 10–00 बीघा भूमि व खसरा नम्बर 166/1 रकबा 10–00 बीघा भूमि।
2. वादीगण संख्या 2 ता 8 के नाम खसरा नम्बर 69/1 रकबा 10–00 बीघा भूमि व खसरा नम्बर 69/2 रकबा 10–00 बीघा भूमि।
3. प्रतिवादीगण संख्या 1/1 व 1/2 के नाम बहिस्सा बराबर–बराबर खसरा नम्बर 69/1 रकबा 39–18 बीघा।
4. प्रतिवादी संख्या 3 के नाम खसरा नम्बर 69/2 रकबा 21–10 बीघा व खसरा नम्बर 166/1 रकबा 1–14 बीघा।
5. प्रतिवादीगण संख्या 2 व 5 के नाम बहिस्सा बराबर–बराबर खसरा नम्बर 166/1 रकबा 16–13 बीघा भूमि।

उक्त राजीनामा हम वादीगण को पूर्ण रूप से स्वीकार एवं अंगीकार है और इस बाबत् भविष्य में हम वादीगण एवं हम वादीगण की आल व औलाद किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद तथा दावा व प्रार्थना पत्र, अपील एवं अन्य कोई भी विधिक कार्यवाही नहीं करेगें। उक्त राजीनामा को तस्दीक किया जाकर राजीनामा अनुसार ही वाद डिक्री किये जाने के आदेश फरमावे।

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन एवं अध्ययन करने के पश्चात राजीनामा पर वादीगण एवं प्रतिवादी के हस्ताक्षर/अगूंठ निशानों की पहचान वादीगण एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा की गई। तत्पश्चात वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 की उपस्थित में राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। वाद वादीगण राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है कि ग्राम कलाथल पटवार क्षेत्र चाखू तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 166/1 व खसरा नम्बर 69/2 में से प्रतिवादी संख्या 4 का नाम विलोपित किया जाकर खसरा नम्बर 69/1 रकबा 10–00 बीघा व खसरा नम्बर 166/1 रकबा 10–00 बीघा वादी संख्या 1 के बंट में, खसरा नम्बर 69/1 रकबा 10–00 बीघा व खसरा नम्बर 69/2 रकबा 10–00 बीघा वादीगण संख्या 2 ता 8 के बंट में, खसरा नम्बर 69/1 रकबा 39–18 बीघा प्रतिवादीगण संख्या 1/1 व 1/2 के बंट में, खसरा नम्बर 69/2 रकबा 21–10 बीघा व खसरा नम्बर 166/1 रकबा 1–14 बीघा प्रतिवादी संख्या 3 के बंट में, खसरा नम्बर 166/1 रकबा 16–13

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

बीघा प्रतिवादीगण संख्या 2 व 5 के बंट में रखी जाकर उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं प्रतिवादी संख्या 3 का नाम गलत रूप से दर्ज बलवन्ताराम पुत्र कानाराम के स्थान पर बलवन्ताराम पुत्र भींयाराम के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी **सुखाराम** पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. धूडाराम पुत्र जैराम जाति विश्नोई निवासी हरिपुरा मोटाई तहसील फलोदी जिला फलोदी
2. जोराराम पुत्र फगलूराम जाति विश्नोई निवासी हरिपुरा मोटाई तहसील फलोदी जिला फलोदी
3. भंवरलाल पुत्र फगलूराम जाति विश्नोई निवासी हरिपुरा मोटाई तहसील फलोदी जिला फलोदी
4. भाखरराम पुत्र फगलूराम जाति विश्नोई निवासी हरिपुरा मोटाई तहसील फलोदी जिला फलोदी
5. जीवनराम पुत्र फगलूराम जाति विश्नोई निवासी हरिपुरा मोटाई तहसील फलोदी जिला फलोदी
6. पतराम पुत्र फगलूराम जाति विश्नोई निवासी हरिपुरा मोटाई तहसील फलोदी जिला फलोदी
7. सहीराम पुत्र फगलूराम जाति विश्नोई निवासी हरिपुरा मोटाई तहसील फलोदी जिला फलोदी
8. तुलसी पत्नी फगलूराम जाति विश्नोई निवासी हरिपुरा मोटाई तहसील फलोदी जिला फलोदी

—वादीगण

बनाम

1. लालूराम पुत्र मंगलाराम फौत के कायम मुकाम

1/1 मानाराम पुत्र लालूराम जाति विश्नोई निवासी हरिपुरा मोटाई तहसील फलोदी जिला फलोदी

1/2 बीरूराम पुत्र लालूराम जाति विश्नोई निवासी हरिपुरा मोटाई तहसील फलोदी जिला फलोदी

2. खमूराम पुत्र कानाराम जाति विश्नोई निवासी हरिपुरा मोटाई तहसील फलोदी जिला फलोदी
3. बलवंताराम पुत्र कानाराम जाति विश्नोई निवासी हरिपुरा मोटाई तहसील फलोदी जिला फलोदी
4. भरमल पुत्र कानाराम जाति विश्नोई निवासी हरिपुरा मोटाई तहसील फलोदी जिला फलोदी
5. लादूराम पुत्र कानाराम जाति विश्नोई निवासी हरिपुरा मोटाई तहसील फलोदी जिला फलोदी
6. शाखा प्रबन्धक आई.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा फलोदी तहसील फलोदी जिला फलोदी

—प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :— 133/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी एवं हांजिर विजय तंवर मिनजानिब मुदई व राजेन्द्रसिंह सोंलकी मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि ग्राम कलाथल पटवार क्षेत्र चाखू तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 166/1 व खसरा नम्बर 69/2 में से प्रतिवादी संख्या 4 का नाम विलोपित किया जाकर खसरा नम्बर 69/1 रकबा 10—00 बीघा व खसरा नम्बर 166/1 रकबा 10—00 बीघा वादी संख्या 1 के बंट में, खसरा नम्बर 69/1 रकबा 10—00 बीघा व खसरा नम्बर 69/2 रकबा 10—00 बीघा वादीगण संख्या 2 ता 8 के बंट में, खसरा नम्बर 69/1 रकबा 39—18 बीघा प्रतिवादीगण संख्या 1/1 व 1/2 के बंट में, खसरा नम्बर 69/2 रकबा 21—10 बीघा व खसरा नम्बर 166/1 रकबा 1—14 बीघा प्रतिवादी संख्या 3 के बंट में, खसरा नम्बर 166/1 रकबा 16—13 बीघा प्रतिवादीगण संख्या 2 व 5 के बंट में रखी जाकर उक्त भूमि के खातेदार

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

काश्तकार घोषित किये जाते है एवं प्रतिवादी संख्या 3 का नाम गलत रूप से दर्ज बलवन्ताराम पुत्र कानाराम के स्थान पर बलवन्ताराम पुत्र भींयाराम के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें।नीचे

मुतालिक

बाबत्

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक को अदा करे।

बसब्ब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.12.2024 को जारी की गई।

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।